रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 128] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 28, 2010/वैशाख 8, 1932
No. 128] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 28, 2010/VAISAKHA 8, 1932

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 23 अप्रैल, 2010

सं. टीएएमपी/67/2005-केपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा, कांडला पत्तन न्यास के दरमान की वैधता को, संलग्न आदेश के अनुसार विस्तार प्रदान करता है ।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/67/2005-केपीटी

कांडला पत्तन न्यास ..... **आवेदक**

आदेश

(मार्च, 2010 के 31वें दिन पारित)

यह प्रकरण, कांडला पत्तन न्यास (केपीटी) के प्रचलित दरमान की वैधता के विस्तार से संबंधित है ।

2. केपीटी का वर्तमान दरमान इस प्राधिकरण द्वारा पिछली बार आदेश सं. टीएएमपी/67/2005-केपीटी दिनांक 15 मई, 2007 के माध्यम से अनुमोदित किया गया था । आदेश ने दरमान को 31 मार्च, 2010 तक वैधता प्रदान की थी ।

3. दरमान के संशोधन के लिए केपीटी द्वारा दाखिल किया गया प्रस्ताव परामर्श के लिए लिया गया है । प्रस्ताव की प्रारंभिक जांच पड़ताल पर केपीटी से मांगी गई अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण अभी आनी बाकी है इसलिए, इस प्रकरण को इस प्राधिकरण द्वारा फाइनल विचार विमर्श के लिए परिपक्व होने में अभी कुछ समय लगेगा । इस बीच केपीटी ने दिनांक 16 मार्च, 2010 के अपने पत्र द्वारा इस प्राधिकरण से वर्तमान दरमान की वैधता, इसके दरमान के सामान्य संशोधन के लिए पत्तन द्वारा दाखिल प्रस्ताव के निपटान तक विस्तारित करने का अनुरोध किया है ।

4. चूंकि वर्तमान दरमान की वैधता 31 मार्च, 2010 को समाप्त हो रही है और प्रकरण के फाइनल होने में लगने वाले समय को स्वीकार करते हुए यह प्राधिकरण केपीटी के वर्तमान दरमान की वैधता 30 सितम्बर, 2010 या संशोधित दरमान के क्रियान्वयन की प्रभावी तिथि तक, इनमें से जो भी पहले हो, विस्तारित करता है ।

5. 1 अप्रैल, 2010 के बाद वाली अवधि में, ग्राह्य लागत और अनुमेय प्रतिलाभ से अधिक यदि कोई अतिरिक्त अधिशेष उभरता है तो उसकी निष्पादनता की समीक्षा के समय वह अतिरिक्त अधिशेष निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में समायोजित किया जाएगा ।

रानी जाधव, अध्यक्षा

[विज्ञापन III/4/143/10-असा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 23rd April, 2010

No. TAMP/67/2005-KPT.—In exercise of the powers conferred under Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the Scale of Rates at the Kandla Port Trust as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

No. TAMP/67/2005-KPT

The Kandla Port Trust ..... Applicant

ORDER

(Passed on this 31st day of March, 2010)

This case relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of the Kandla Port Trust (KPT).

2. The existing Scale of Rates (SOR) of the KPT was last approved by this Authority *vide* Order No. TAMP/67/2005-KPT dated 15th May, 2007. The Order prescribed the validity of the SOR till 31st March, 2010.

3. The proposal filed by the KPT for revision of SOR is taken on consultation. On a preliminary scrutiny of the proposal, additional information/clarification sought from the KPT is awaited. It may, therefore, take some more time for the case to mature for final consideration of this Authority. In the meanwhile the KPT *vide* its letter dated 16th March, 2010 has requested this Authority to extend the validity of the existing Scale of Rates till the disposal of the proposal filed by the port for general revision of its Scale of Rates.

4. Since the validity of the existing SOR expires on 31st March, 2010 and recognising the time required for finalising the case, this Authority extends the validity of the existing SOR of the KPT till 30th September, 2010 or till the effective date of implementation of the revised Scale of Rates, whichever is earlier.

5. If any additional surplus over and above the admissible cost and permissible return emerges for the period post 1st April, 2010, during the review of its performance, such additional surplus will be set off fully in the tariff to be determined.

RANI JADHAV, Chairperson

[ADVT III/4/143/10-Exty.]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.